

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तेरह'

[7/12/2016]

प्रश्न सं. [क. 869]

विधान सभा प्रश्न सं. 0869 अंतरांकित परिशिष्ट "अ"

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला छतरपुर म0प्र0

छतरपुर, दिनांक 20-9-12


आदेश

क्रमांक 1465/खाद्य/स्था/2012 आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक 5275/स-1/स्थापना/2012 दिनांक 13.7.12 एवं 6271/स-1/(अ)/स्था./2012 भोपाल दिनांक 4.9.12 के आदेश के परिपालन में इस जिले में श्री नारायण शर्मा सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं श्री जे0आर0 लेखपांडे सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप पूर्व में जारी पदस्थापना संबंधी आदेश निरस्त करते हुये जिले में पदस्थ सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है ।

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पद	सौंपे गये कार्य
1	श्री नारायण शर्मा सहायक आपूर्ति अधिकारी	प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी अनुविभाग - छतरपुर, नौगांव, (जनशिकायत/विधानसभा प्रश्न/जनसुनवाई)
2	श्री जे0आर0 लेखपांडे	अनुविभाग - राजनगर, लवकुशनगर, लोकसेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के नगरीय क्षेत्र अंतर्गत पदाधिकारी
3	श्री आर0एल0शुक्ला कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	अनुविभाग-- बिजावर सी0एम0 कॉलसेन्टर, परख कार्यक्रम, से संबंधित शिकायतों के निराकरण, कले0 कार्यालय एवं वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण

मुख्यालय छतरपुर रखते हुये समय -समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का सम्पादन करेंगे ।


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा


कलेक्टर

जिला छतरपुर म0प्र0
छतरपुर दिनांक

पू0क0 /खाद्य/स्था./2010
प्रतिलिपि:-

- 1.आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल ।
2. अनुविभागीय अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संबंधीजन श्रीकी ओर पालनार्थ ।
4. आदेश पत्रावली ।


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0